रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 1990/आषाढ़ 22, 1912
No. 284] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1990/ASADHA 22, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1990

सा.का.नि. 632 (अ).—दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियम, 1971 के नियम 32 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन विनियमों को दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (परिवीक्षा प्रशिक्षण, और विभागीय परीक्षा) संशोधन विनियम, 1990 कहा जाएगा।

(2) ये विनियमन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 में :—

"(1) विनियम 4(क) में उप-विनियम (1) में निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित बशर्ते कि जिस परिवीक्षार्थी ने कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं किन्तु किसी एक पेपर में 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा बशर्ते कि उसने एक पेपर को छोड़कर अन्य सभी पेपरों में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।"

(ग) उप विनियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"जो परिवीक्षार्थी उप-विनियम 3 के खंड (क) में उल्लिखित भाग-I लिखित परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण करता है, को ऐसी विभागीय परीक्षा की अन्तिम तारीख से सेवा के प्रवेश ग्रेड (एन्ट्री ग्रेड) में दूसरी वेतनवृद्धि दी जाएगी जिसे भविष्य में होने वाली वेतन-वृद्धि में समाहित कर लिया जाएगा ;

बशर्ते कि किसी परिवीक्षार्थी को अनुवर्ती वेतन वृद्धि तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह उप विनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले ;

(2) विनियम 5 में, "विभागीय परीक्षा" शब्दों के पश्चात तथा "अवधि के दौरान" शब्दों से पहले आए "उच्चतर स्तर" शब्दों को हटाया जाएगा ;

(3) अनुसूची में "दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा परिवीक्षार्थियों को विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सूची" शीर्ष के अंतर्गत "नोट" के पश्चात दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए अर्थात् :—

1. मूल आर्थिक सिद्धांत जिनमें प्रबन्धकीय अवधारणाएं तथा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं भी शामिल हैं।

तीन घंटे की अवधि का एक पेपर होगा (अधिकतम 200 अंक) पेपर दो भागों में होगा और प्रत्येक भाग के 100 अंक होंगे। भाग (क) मूल आर्थिक अवधारणाएं तथा भाग (ख) प्रबन्धकीय अवधारणाएं।

भाग (क) मूल आर्थिक अवधारणाएं—राष्ट्रीय आय—अवधारणा और गणन पद्धति; आय के सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि: मूल्य निर्धारण पूंजी निर्माण आदि; योजनाबद्ध आर्थिक विकास-पंचवर्षीय योजनाएं तथा पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई जाने वाली विभिन्न योजना नीतियां अर्थव्यवस्था प्रबन्ध के लिए नीति तंत्र; कृषि और कृषि आधारित उद्योग का विकास; ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनमें आई.आर.डी.पी. एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी. जैसे किया जाए, अर्थात् :—

"प्रत्येक परिवीक्षार्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा पास करना अपेक्षित है।"

(2) विनियम 4(ख) में उप-विनियम (3) में खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) मूल आर्थिक सिद्धांत जिनमें प्रबन्धकीय अवधारणाएं और भारत की पंचवर्षीय योजनाएं भी शामिल हैं।

(2) मूल राजनैतिक अवधारणाएं तथा भारत का संविधान।

(3) भारत में जिला प्रशासन के विशेष संदर्भ सहित लोक प्रशासन की मूल अवधारणाएं।

(4) मुख्य अधिनियम।

(5) विविध अधिनियम।

(6) केन्द्रीय खजाना नियम, सामान्य वित्तीय नियम तथा अन्य सेवा नियम।

(7) भाषा हिन्दी (मौखिक भाषा शामिल है)"।

(ख) खंड (ग) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :—

"प्रत्येक परिवीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित है :

कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं; औद्योगिक विकास—बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग और लघु उद्योग; संस्थागत ऋण—बैंकिंग तथा अन्य संस्थागत वित्त विकास; सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान।

भाग (ख)—प्रबन्धकीय अवधारणाएं—व्यवहारण शास्त्र, प्रोत्साहन सिद्धांत निर्णय लेना एम.बी.ओ., संघर्ष प्रबन्धन, परिवर्तन प्रबन्धन, कार्य-विवरणात्मक विश्लेषण, एम.आई.एस.—संगठन एवं पद्धति—और कार्य अध्ययन—पार्ट/सी पी.एम., समय प्रबन्ध—विषय प्रस्तुत करने की पद्धति—वित्तीय प्रबन्ध, पूंजी बजट।

I. व्यवस्था, डिस्काउंटिड कैश फ्लो—अनुपात विश्लेषण, परियोजना निरूपण, लागत लाभ विश्लेषण, परियोजना मूल्यांकन, तुलन-पत्र की व्याख्या, जीरो-बेस बजटिंग तथा निष्पादन बजट।

II. मूल राजनैतिक अवधारणाएं तथा भारत का संविधान

तीन घंटे की अवधि का एक पेपर होगा (अधिकतम 100 अंक) पेपर 2 भागों में होगा और प्रत्येक भाग के 50 अंक होंगे। भाग (क) मूल राजनैतिक अवधारणाएं तथा भाग (ख) भारत का संविधान (अंग्रेजी भाष्य में)—लिखित परीक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा।

भाग (क) मूल राजनैतिक अवधारणाएं :—राजनैतिक विचारधाराएं तथा अवधारणाएं जिनमें गांधीवादी सिद्धांत भी शामिल है, भारतीय राजनैतिक पद्धति जिसमें संसदीय लोकतंत्र शामिल है, राजनैतिक गठन के विभिन्न प्रभावी दलों का मूल्यांकन और उनकी भूमिका; अशांति—विद्यार्थी, काश्तकार जातियां, साम्प्रदायिक और औद्योगिक उसका स्वभाव तथा समाज पर उनका प्रभाव; नागरिक उसके अधिकार तथा राज्य और प्रभुसत्ता मौजूदा पर्यावरण में कल्याणकारी राज्य का आशय, मूल्यांकन तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका।

भाग (ख) भारत का संविधान : इसका मूल्यांकन जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास; मौलिक अधिकार और कर्तव्य; राज्य की नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति; केन्द्र और राज्य संबंध; संकटकालीन प्रावधान संशोधन—अनुच्छेद 370 तथा 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान; अल्पसंख्यकों की सुरक्षा।

III. भारत में जिला प्रशासन के विशेष संदर्भ में लोक प्रशासन की मूल अवधारणाएं

इसमें अधिकतम 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि तीन घंटे होगी। प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे। भाग (क) लोक प्रशासन तथा भाग (ख) भारत में जिला प्रशासन। प्रत्येक भाग के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :—

भाग (क) लोक प्रशासन :—

(i) लोक प्रशासन का सार—सरकारों की संगठनात्मक संरचना,

(ii) सिविल सेवकों की भूमिका;

(iii) प्रशासनिक आचार-शास्त्र तथा उत्तरदायित्व;

(iv) प्रत्यायोजना तथा विकेन्द्रीकरण—जिला तथा स्थानीय प्रशासन;

(v) कार्मिक प्रशासन-पुलिस-प्रशासन—जेल प्रशासन—पंचायत राज्य प्रशासन,

(vi) आपदा प्रशासन—विकास तथा कल्याण कार्यक्रमों का प्रशासन;

(vii) बजट तथा लेखा-परीक्षा की भूमिका;

(viii) जिला अधिकारी/अनुमंडल अधिकारी की भूमिका—चुनावों का आयोजन; तथा

(ix) चुनावों का आयोजन—कानूनी उपबंध।

भाग (ख) भारत में जिला प्रशासन :

(i) सहकारिता—सहकारिता आंदोलन तथा इसके कार्यक्रमों का मूल्यांकन;

(ii) सामुदायिक विकास—सामुदायिक विकास की अवधारणा—विषय वस्तु नागता व्याप्त चौहद्दी तथा कार्यक्रम का प्रशासनिक विन्यास मूल्यांकन .

(iii) ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तर की पंचायती राज संस्थाएं-संसाधन तथा उनको सौंपे गए कार्य—कार्यान्वयन की समस्याएं; कलेक्टर की भूमिका;

(iv) नगरपालिका प्रशासन—गठन—कार्यपालक कृत्य-राजस्व के स्रोत—नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण—सामान्य प्रशासन—विधायी तथा कार्यपालक विंग के बीच संबंध;

(v) विधि और व्यवस्था को बनाए रखना—मैजिस्ट्रेसी तथा पुलिस का दायित्व—कानूनी उपबंध—बल प्रयोग—असैनिक अधिकारियों के सहायक के रूप में सेना।

(vi) भूमि अधिग्रहण—प्रक्रिया—मुआवजे का निर्धारण;

(vii) निरीक्षण कार्य—निरीक्षण कार्यों की आवश्यकता—समीक्षा के उद्देश्य-रिपोर्ट जैसे व्यक्तिगत दौरों द्वारा निरीक्षण—निरीक्षण कार्य की प्रक्रिया और अनुपालन क्षेत्र निरीक्षण आकस्मिक निरीक्षण;

(viii) चुनाव;

(ix) भूमि सुधार एवं बंदोबस्त कार्य;

(x) ग्रामीण विकास;

IV. मुख्य अधिनियम (पुस्तकों सहित).

प्रत्येक के लिए अधिकतम 100 अंक और दो घंटे की अवधि वाले दो प्रश्नपत्र होंगे, अधिकारियों से उनको दिए जाने वाले मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिखने का अनुरोध किया जा सकता है । प्रश्न के संगत उपबंध के संदर्भ में अधिकारी से कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मुख्य अधिनियम निम्नलिखित हैं :—

प्रश्न पत्र-I.

1. भारतीय दंड संहिता, 1860
2. अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. सामान्य धाराएं, अधिनियम, 1897
5. परिसीमन अधिनियम, 1963

प्रश्न पत्र-II

1. नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1988
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1989 तथा उसके तहत बनाए गए नियम।
3. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
4. आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम तथा उसके नियम.
5. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
6. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

I. विविध अधिनियम (पुस्तकों सहित) :

दो परीक्षा पत्र होंगे जो अधिकतम 100 अंकों के होंगे जिनकी अवधि दो घंटे की होगी। अधिकारियों से मामले के तथ्यों के आधार पर, जो कि अधिकारी को सप्लाई किए जाएंगे, निर्णय लिखने का अनुरोध किया जा सकता है। अधिकारी को समस्या से संबंद्ध प्रावधानों के संदर्भ सहित उत्तर देने में कुछ कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ विविध अधिनियम निम्न प्रकार है :—

परीक्षा पत्र-I .

1. आर्म्स अधिनियम, 1959 और नियम
2. दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978
3. दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954
4. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954
5. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 और नियम
6. दिल्ली जोत (मूल्यांकन निरोधक एवं चकबंदी) नियम, 1959
7. दिल्ली पर लागू अनुसार तीसरा पंजाब जोत अधिनियम, 1948
8. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1972 का संरक्षण
9. दहेज निषेध अधिनियम
10. अनैतिक यातायात अधिनियम का अधिक्रमण
11. दिल्ली जेल संहिता

परीक्षा पत्र-II

1. फैक्टरी अधिनियम, 1948
2. दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975
3. रोजगार कार्यालय की रिक्ति अधिनियम, 1959 की अनिवार्य अधिसूचना।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम।
5. क्षेत्रों में लागू विशिष्ट श्रम कानून जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 इत्यादि।
6. पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914
7. यू. पी. एन्टरटेनमेंट एंड बेटिंग एक्ट, 1937 जैसे कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में किया गया है।
8. खाद्य वस्तुओं में मिलावट निरोधक अधिनियम, 1954
9. दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम
10. दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966

VI. केन्द्रीय कोषागार नियम, सामान्य वित्त नियम तथा अन्य सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

अधिकतम 100 अंकों का एक परीक्षा पत्र होगा जिसकी अवधि दो घंटे होगी। अधिकारियों से समस्या से संगत नियमों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देने की आशा की जाती है।

1. केन्द्रीय कोषागार नियम, सामान्य वित्त नियम और अन्य सेवा नियम।
2. केन्द्रीय कोषागार नियम वोल्यूम I और II
3. सिविल सेवा विनियम वोल्यूम I और II
4. मौलिक नियम और प्रतिपूरक नियम, वोल्यूम I और II
5. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960
6. वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 1978
7. के. सि. सेवा आचरण नियमावली, 1965
8. सी.सी.ए. नियम, 1965
9. सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी आदेश।

10. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 के उपबंधों के साथ पठित सतर्कता संहिता वोल्यूम I और II

11. संगठन तथा पद्धति प्रक्रिया।

12. सरकारी लेखा परीक्षा और लेखा का परिचय।

भाषा :

हिंदी : एक परीक्षा पत्र होगा जिसकी अवधि 2 घंटे होगी और अधिकतम 75 अंकों का होगा। एक मौखिक टेस्ट 25 अंकों का होगा।

(क) लिखित :

(i) अंग्रेजी पैरे का हिंदी में अनुवाद

(ii) हिंदी पैरे का अंग्रेजी में अनुवाद

(iii) विशिष्ट विषयों में से एक पर हिंदी में प्रस्ताव।

(ख) मौखिक :

भाषा को धारा प्रवाह रूप से बोलने और पढ़ने में परिवीक्षाधीन अधिकारी की योग्यता को जानने के लिए मौखिक परीक्षा की जाती है।

[सं. 14012/12/88-यू. टी.एस.]

प्रकाश चन्द्र, निदेशक (सी.पी.एस.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 1990

G.S.R. 632(E).—In pursuance of rule 32 of the Delhi Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following regulations, further to amend the Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Probation, Training and Departmental Examination) Regulations, 1972, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Probation, Training and Departmental Examination) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Probation, Training and Departmental Examination) Regulations 1972—

(1) in regulation 4(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"Every probationer shall be required to pass departmental examination during the period of probation.";

(2) in regulation 4(b) in sub-regulation (3) after clause (a), the following clauses shall be substituted namely :—

1. Basic Economic Principles including Management Concepts and Five Year Plans of India.

8. Basic Political Concepts and the Constitution of India.

3. Basic concepts of Public Administration with particular reference to District Administration in India.

4. Major Acts

5. Miscellaneous Acts.

6. Central Treasury Rules, General Financial Rules and other Service Rules.

7. Language—Hindi (including oral);

B. for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) Every probationer shall be required to obtain a minimum of 60 per cent marks in each subject to pass therein :

Provided that a probationer who has obtained 60 per cent marks in aggregate but has secured 50 per cent or more marks in one paper, shall be deemed to have qualified the examination, if in all papers except the one, he has secured 60 per cent or more marks.";

C. After sub-regulation (8), the following sub-regulations shall be inserted namely :—

"(a) The probationer who passes the Part I Written Examination as mentioned in clause (a) of sub-regulation 3 in the first attempt, shall be allowed second increment in the entry grade of service absorbable in future increases of Pay, from the last date of such departmental examination :

Provided that a probationer shall not be allowed to draw subsequent increment unless he qualifies the departmental examination as prescribed under sub-regulation (1).";

(2) In regulation 5, the words "by the higher standard" appearing after the words "departmental examination" and before "during the period" shall be omitted;

(3) In the Schedule, under the heading "Syllabus for departmental examination of the Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service Probationers," for the entries after 'Note' the following entries shall be substituted, namely :—

I. Basic Economic Principles including Management Concepts and Five Year Plans of India.

There shall be one paper (Maximum marks 200) of three hours duration. Paper will have two parts, each part having 100 marks. Part (a) Basic Economic Concepts and part (b) Management Concepts.

Part (a)—Basic Economic Concepts : National Income—Concept and method of calculation; Laws of returns; Population Growth: Pricing, Capital formation etc.; Planned Economic Development—Five Year Plans and various Planning Strategies followed in Five Year Plans; Policy Instrument for Managing the Economy; Development of Agriculture and Agro-based Industries; Rural Development Programmes including Programmes like IRDP, NRDP, RLEEGP

and Programmes for the Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Industrial Development —Large and Medium Scale Industries & Small Scale Industries; Institutional Credit—Development of Banking and other Institutional Finance; Public Sector Undertakings.

Part (b)—Management Concepts.—Behavioural Science, Motivation, Leadership, decision-making, MBO, Management of Conflicts, Management of change, Transactional Analysis, MIS-O and M and Work Study—Pert/CPM, Time-Management—Methodology of Presentation of a subject—Financial Management, Capital Budgeting, Discounted Cash Flow, Ratio-Analysis, Project Formulation, Cost-Benefit Analysis, Project Evaluation, Interpretation of Balance Sheets, Zero-base Budgeting and Performance Budgeting.

II. Basic Political Concepts and the Constitution of India :

There shall be one paper (maximum marks 100) of three hours duration. Paper will have two parts, each part having 50 marks. Part(A) Basic Political Concepts and Part (B) Constitution of India (in English edition) will be provided at the written examination.

Part (A) Basic Political Concepts.—Political Ideologies and Concepts including Gandhian Ideology, Indian Political Systems including Parliamentary Democracy; Evolution and role of various Pressure Groups in a political set up; Unrest—students, Agrarian Castes, communal and Industrial—their nature and impact on Society; A citizen—his rights and the State and Sovereignity—Meaning of a Welfare State in present environment, evolution and role of International organisations particularly the UNO.

Part (B) Constitution of India.—Its evolution including history of freedom struggle; Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of the State Policy; Parliamentary Procedures and Practices; Centre and State Relations; Emergency Provisions; Amendments—Special Provisions under Aricle 370 and 371; Safeguards for Minorities; services under the Union and the States; voting behaviour in India and present political scene.

III. Basic Concepts of Public Administration with particular reference to District Administration in India—There shall be one paper (maximum marks 100) of three hours duration. Paper will have two parts. Part (A) Public Administration and Part (b) District Administration in India. Each part will coper the following subjects :—

Part (A) Public Administration :

(i) Essentials of Public Administration—Organisational structure of Governments;

(ii) Role of Civil Servants;

(iii) Administrative Ethics and Accountability;

(iv) Delegation and Decentralisation.—District and Local Administration;

(v) Personnel Administration.—Police Administration—Jail Administration—Panchayatiraj Administration.

(vi) Calamity Administration—Administration of Development and Welfare Programmes;

(vii) Budget and Role of Audit

(viii) Role of District Officer/SDO—Conduct of Elections and;

(ix) Conduct of Elections—Legal provisions.

Part (B) District Administration in India :

(i) Co-operatives—Co-operative Movement and appraisal of its programmes,

(ii) Community Development—The concept of community Development—the content organisation pattern and implementation of Programme—performance appraisal.

(iii) Panchayat Raj Institutions at the village, block and district levels—resources and functions assigned—problems in implementation—role of Collector;

(iv) Municipal Administration—Constitution—the executive functions—sources of revenue—control and supervision—general administration—relationship between deliberative and executive wings;

(v) Maintenance of law and order—the responsibilities of the Magistracy the police—legal provisions—use of force—the army as an aid to civil authorities.

(vi) Land acquisition—Procedure—determination of compensation;

(vii) Inspections—need for inspections—objectives of review—report viz. inspections by personal visits—procedure for inspections and compliance field inspections surprise inspections.

(viii) Elections.

(ix) Land reforms & Settlement operations.

(x) Rural development.

IV Major Acts (with books):

There shall be two papers each having maximum 100 marks and of two hours duration. The officers can be requested to write the judgment on the basis of facts of the case which will be supplied to the officer. Some problems can also be posed to the officer for answer with reference to the provision reevant to the problem. Major Acts are :—

Paper I:

1. The Indian Penal Code, 1860.
2. The Code of Criminal Procedure, 1973.
3. The Indian Evidence Act, 1872.
4. The General Clauses Act, 1897.
5. The Limitation Act, 1963.

Paper II :

1. The Code of Civil Procedure, 1908

2. The Motor Vehicle Act, 1989 and the rules framed there under.
3. The Indian Contract Act, 1872.
4. The Maintenance of Essential Services Act and the Rules thereunder.
5. The Land Acquisition Act, 1894
6. The Court Fee Act, 1870.

V. Miscellaneous Acts (with books) :

There shall be two papers each having maximum 100 marks and of two hours duration. The officers can be requested to write the judgment on the basis of facts of the case which will be supplied to the officer. Some problems can also be posed to the officer for answer with reference to the provisions relevant to the problem. Miscellaneous Acts are :—

Paper 1 :

1. The Arms Act, 1958 and the rules.
2. The Delhi Police Act, 1978.
3. The Delhi Panchayat Raj Act, 1954.
4. The Delhi Land Reforms Act, 1954.
5. The Delhi Land Revenue Act, 1954 and the rules.
6. The Delhi Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1959.
7. Third Punjab Holding Act, 1948 as applicable to Delhi.
8. Protection of Civil Rights Act, 1972.
9. Dowry Prohibition Act.
10. Suppression of Immoral Traffic Act.
11. The Delhi Jail Manual.

Paper II :

1. The Factories Act, 1948.
2. The Delhi Sales Tax Act, 1975.
3. Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act, 1959.
4. The Essential Commodities Act.
5. Various Labour Laws as applicable in the Territory like Industrial Disputes Act, Shops and Establishments Act, Worksman Compensation Act, Minimum Wages Act, Trade Union Act, 1926., etc.
6. Punjab Excise Act, 1914.
7. U.P. Entertainment and Betting Act, 1937 as extended to U.T. Delhi.
8. Prevention of Food Adulteration Act, 1954.
9. The Delhi Co-operative Societies Act & the rule.
10. Delhi Administration Act, 1966.

VI. Central Treasury Rules, G.F. Rs. & other Service Rules (with books except Sl. No. 10 to 12).

One paper of 2 hours duration and 100 maximum marks. Officers are expected to provide answers to the problems with reference to the rules relevant to the problem posed.

1. Central Treasury Rules, General Financial Rules and other Service Rules.
2. Central Treasury Rules, Volume I & II.
3. Civil Service Regulations, Volume I & II.
4. Fundamental Rules and Supplementary Rules, Vol. I & II.
5. General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.
6. Delegation of Financial Power Rules, 1978.
7. CCS Conduct Rules, 1965.
8. CCA Rules, 1965.
9. Broucher on Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services.
10. Vigilance Manual Vol. I & II read with Provisions of Prevention of Corruption Act, 1947.
11. O & M Procedure.
12. Introduction to Govt. Audit & Accounts.

VII Language :

Hindi : There shall be one paper of 2 hours duration having 75 marks. There shall also be an oral test of 25 marks.

(a) Written :

(i) Translation of an English passage into Hindi.

(ii) Translation of a Hindi passage into English.

(iii) An essay in Hindi on one of the specified subjects.

(b) Oral :

Oral test is intended to test the ability of the probationer to speak and to read the language fluently.

[No. 14012 12/88-UTS]

PARKASH CHANDER, Director (CPS)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990